न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी /अपील डिक्री/टीए/2002/4238/नागौर.

मु0 अणची बेवा नारायण उर्फ रामनारायण वगैरह।

.....प्रार्थीगण

बनाम

मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ वगैरह।

.....अप्रार्थीगण

खंड पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

———

उपस्थित :
श्री धनेश दत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक :– 30/01/2025

1– हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की खंडपीठ द्वारा अपील प्रकरण संख्या 101/98, बउनवान मोहनलाल वगैरह बनाम नारायण उर्फ रामनारायण वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09–07–2002 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

2– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी वादी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष ग्राम कुकनवाली स्थित भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 45 बीघा 7 बिस्वा के संबंध में पेश किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04–11–1982 द्वारा वाद डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष

30/01/2025

30.1.25

प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 06–05–1998 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अप्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ ने निर्णय दिनांक 09–07–2002 द्वारा अपील स्वीकार की गई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह नजरसानी याचिका मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो जमाबंदी संवत् 2010 से 2045 से स्पष्ट है तथा भूमि संवत् 2023 तक राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम रही तथा बाद में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार के प्रार्थी का नाम रेकार्ड से हटा दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जबकि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है एवं प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, इस कारण वादीगण जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, उन्हें धारा–42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् हस्तांतरित नहीं की जा सकती एवं ना ही उन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त होते है। आगे यह भी कथन किया कि माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया नामांतकरण रेफरेन्स के जरिये खारिज फरमा दिया गया था जो रेफरेन्स टीए/83/76/नागौर, सरकार बनाम पेमा में पारित निर्णय दिनांक 5–9–79 से स्पष्ट है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 5–9–79 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई रिट याचिका भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इस कारण माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 5–7–79 एवं उच्च न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायालय पर लागू होने के बावजूद भी निर्णय अंतर्गत नजरसानी पारित करने में भूल की है। अंत में प्रस्तुत याचिका स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–07–2002 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 09–07–2002 में प्रथम दृष्टया पृष्ठ पर दिखने वाली कोई त्रुटि नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनर्विलोकन को अपील के जैसे नहीं सुना जा सकता एवं पुनर्विलोकन कार्यवाही प्रकरण की मूल सुनवाई के समतुल्य नहीं हो सकती है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत

30/01/2025

30.1.25

याचिका के माध्यम से पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर रिव्यू चाहा है, जिनका निस्तारण अपील के स्तर पर हो चुका है। गौरतलब है कि गलत निर्णय को पुनर्विलोकन अधिकारिता के अन्तर्गत सहीं नहीं किया जा सकता हैं एवं पुनर्विलोकन न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य नहीं कर सकता है एवं ना ही दोषपूर्ण मत को सही किया जा सकता है। अतएव प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5— उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र** में द्वितीय अपील संख्या 101/98 में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09—07—2002 का पुनर्विलोकन चाहा गया है तथा उसे अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुनः उन्हीं बिन्दुओं को उठाया गया है, जो द्वितीय अपील में विनिश्चित किए जा चुके हैं, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनर्विलोकन न्यायालय कभी भी अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। पुनर्विलोकन की अधिकारिता का उपयोग केवल apparent error को ठीक करने अथवा gross abuse of process को रोकने की हद तक ही किया जा सकता है, जबकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई विशिष्ट तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये है, जो कि प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर दिखाई देने वाली त्रुटि की श्रेणी में आते हो। पुनर्विलोकन की कार्यवाही में सिर्फ पारित आलोच्य आदेश में प्रथम दृष्टयां अभिलेख पर दिखाई देने वाली त्रुटि पर ही विचार किया जा सकता है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो तथ्य एवं आधार लिये गये हैं वे सभी तथ्य एंव आधार प्रार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कराने हेतु सहायक सिद्ध नहीं हो सकते।

6— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ—455 "श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी" में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :—

"Review- 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."

30/01/2025

30.1.25

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है कि:–

"A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ 290 में यह प्रतिपादित किया गया है कि:–

"In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purposeand cannot be allowed to be an appeal in disguise."

7– इस प्रकार पुनर्विलोकन बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है, अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

8– उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान खंडपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही पुनर्विलोकन का आधार हो सकती है अन्यथा ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान खंड पीठ द्वारा पारित आदेश गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी

30/01/2025

30.1.25

पुनर्विलोकन का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करनी चाहिये। पुनर्विलोकन एक और अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती।

9— उपरोक्त आलोक में आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समकक्ष खंड–पीठ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही व्यथित आदेश पारित किया गया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

10— परिणामतः हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जाये। अधिवक्ता उभय पक्ष को जरिये कम्प्यूटर सूचना दी जाकर पत्रावाली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/2025
(गौरव बजाड़)
सदस्य

30.1.26
(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य